न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिवान।
पीठासीन पदाधिकारी– **मनोज कुमार (द्वितीय)**,
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सिवान।

इजराय वाद सं0 48/ 2024
संबंधित भरण पोषण वाद सं0 48/2013
हसीमा खातून व अन्य बनाम हसन इमाम
आदेश की तिथि 06.06.2026

1. प्रस्तुत वाद आवेदिका सं0 01 वो 03 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.05.2023 अंतर्गत धारा 127(1) द0प्र0सं0 पर आदेशार्थ प्रस्तुत है। जिस पर आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2. आवेदिकागण की ओर से एक आवेदन दिनांक 30.05.2023 को दाखिल कर निवेदन किया गया है कि आवेदिकागण के द्वारा मूल भरण पोषण वाद सं0 48/2013 दिनांक 23.02.2013 को दाखिल किया गया था तथा दिनांक 27.04.2017 को एकपक्षीय आदेश पारित हुआ क्योंकि विपक्षी उपरोक्त मूल वाद में हाजिर नहीं हुआ। आवेदिकागण के द्वारा मूल भरण पोषण का वाद दाखिल करने के बाद विपक्षी ने इसी न्यायालय में विवाह विच्छेद वाद सं0 40/2013 दाखिल किया जो दिनांक 06.12.2016 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। मूल भरण पोषण वाद में आवेदिका सं0 01 के लिए प्रतिमाह 2,000/–रूपया, आवेदिका सं0 02 को प्रतिमाह 500/–रूपया और आवेदिका सं0 03 के लिए प्रतिमाह 500/–रूपया अर्थात कुल 3,000/–रूपया प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश विपक्षी को हुआ था। आवेदिका सं0 02 तबस्सुम खातून की शादी दिनांक 18.02.2018 को हो चुकी है लेकिन शादी के बाद भी आवेदिका सं0 02 बराबर अपने मायके आती जाती है जिस कारण आवेदिका सं0 01 को काफी खर्च उठाना पड़ता है। आवेदिका सं0 03 आरजू खातून कुछ बड़ी हो गई है जो इस वर्ष कक्षा दसवीं पास की है तथा उसका नामांकन इंटरमीडिएट में कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। उसके पढ़ाई लिखाई में भी काफी खर्च आता है। महंगाई व पढ़ाई को देखते हुए भरण पोषण की राशि में से आवेदिका सं0 02 की भरण पोषण की राशि हटा दिया जाए तथा आवेदिका सं0 01 व 03 की भरण पोषण की राशि बढ़ा कर प्रतिमाह 6,000/–रूपया कर दिया जाय तथा आवेदिका सं0 03 की पढ़ाई के लिए अलग से 2500/–रूपया विपक्षी से दिलवाया जाय और इस प्रकार आवेदिकागण द्वारा विपक्षी से प्रतिमाह 8500/–रूपया भरण पोषण दिलवाने की प्रार्थना की गई है।

3. विपक्षी की ओर से आवेदिका के उक्त आवेदन के विरूद्व में दिनांक 30.05.2023 को अपना लिखित प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कहा गया है कि आवेदिकागण का आवेदन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। विपक्षी ने कभी भी तलाक का मुकदमा नहीं किया था बल्कि आर0सी0आर0 के बदले विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका के मेल में आकर तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया जिसकी जानकारी भी आवेदिका के आवेदन पर विपक्षी को हुई है। आवेदिका का आवेदन केवल इतना सही है कि भरण पोषण के रूप में मूल वाद में 3,000/–रूपया देना स्वीकृत हुआ है लेकिन आवेदिका के आवेदन की शेष सारी बातें गलत है क्योंकि तब्बसुम खातून की शादी विपक्षी ने अपने खर्चे पर किया जिससे कोई ताल्लुक आवेदिका को नहीं रहा, क्योंकि आवेदिका जारता की स्थिति में मास्टर मोबीन के साथ नवलपुर, सिवान में वर्षों से रह रही है और विपक्षी विदेश रहता है। इसलिए आवेदिका किसी तरह की भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है और ना ही आदेश में संशोधन कराने की अधिकारी है क्योंकि विपक्षी का पुत्र सद्दाम हुसैन ओमान, अरब अमीरात में नौकरी करता है और आवेदिका को प्रतिमाह 40,000/–रूपया देता है। अंत में आवेदिका का आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

4. वर्तमान आवेदिकागण ने अपना यह भरण पोषण बढ़ोत्तरी आवेदन मूल पत्रावली वाद सं0 48/2013 में दाखिल किया था और मूल पत्रावली में वर्तमान आवेदिका, आवेदिका सं0 01 थी जिसमें उसने अपने और दो पुत्रियों के लिए मूल रूप से आवेदन दिया था। आवेदिका ने अपने बढ़ोत्तरी आवेदन दिनांक 30.05.2023 के समर्थन में अपनी ओर से दो साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है जिसमें साक्षी सं0 01 हसीमा खातून स्वयं आवेदिका एवं आवेदिका साक्षी संख्या 02 आरजू मुस्कान जो आवेदिका सं0 02 हैं। इसके

अतिरिक्त आवेदिका की ओर से आय, संपत्ति एवं देयताओं के समर्थन में अपना शपथ पत्र दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से एक मात्र साक्ष्य स्वयं विपक्षी का पूर्ण कराया गया है।

5. आवेदिका साक्षी संख्या 01: स्वयं आवेदिका सं0 01 हसीना उर्फ हसिमा खातून हैं इन्होंने अपने बढ़ोत्तरी आवेदन के तथ्यों का समर्थन अपने साक्ष्य शपथ पत्र में किया है। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण विपक्षी की ओर से किया गया है जिसमें साक्षी का कथन है कि उसे याद नहीं है कि उसकी शादी कब हुई थी। वह दस–पन्द्रह साल से अपने पति से अलग है। उसके पति विपक्षी अरब रहते थे। वर्तमान में उसके पति क्या करते हैं, उसे जानकारी नहीं है। वह नहीं बता सकती कि उसके पति कितने दिनों से घर पर है लेकिन उसने सुना था कि उसके पति अरब से घर आये हैं। उसे तीन संतान तब्बसुम खातून उम्र 26 वर्ष, मुस्कान उम्र 18 वर्ष तथा एक लड़का सद्दाम हुसैन उम्र 31 वर्ष के हैं। उसके लड़के की शादी गोपालगंज हुई है। उसका पुत्र सद्दाम हुसैन विदेश में रहकर नौकरी करता है। तब्बसुम की शादी हो चुकी है और मुस्कान अभी अविवाहित है जो स्नात्तक कर रही है। तब्बसुम की शादी का खर्च उसके मायके वालों ने दिया था। वह अपने मायके ग्राम–लद्दी बाजार, थाना–गोरेयाकोठी, जिला–सिवान में अपने भाई भौजाई के साथ रहती है और मुस्कान भी उसी के साथ रहती है। मुस्कान सिवान में पढ़ाती है मगर उसके कॉलेज का नाम उसे मालूम नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके पैसा देने के बाद मुस्कान ने स्वयं अपना नामांकन कराया था। यह कहना गलत है कि मुस्कान का नामांकन सद्दाम ने कराया था। सद्दाम की शादी कब हुई थी, उसे याद नहीं है लेकिन सद्दाम को एक लड़की एक वर्ष तीन माह की है। उसके पति के साथ उसकी दूसरी पत्नी और बच्चे गांव महबूब छपरा में रहते हैं। उसके पति ने पॉच–छः साल पूर्व दूसरी शादी किये थे। वह मास्टर मोबीन को जानती है जो महबूब छपरा के रहने वाले है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि यह केस मास्टर मोबिन ने ही कराया था और वह मास्टर मोबिन के मकान में रहती है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि जब उसके पति विदेश थे तब उसने मास्टर मोबिन के साथ संबंध बनाकर उनके यहॉ उनके साथ रहने चली गई थी, उसकी बेटी तब्बसुम खातून की शादी विपक्षी ने किया है, सद्दाम को खर्च देकर विपक्षी ने उसे अरब भेजा था, सद्दाम मास्टर मोबिन के मकान में किराये के मकान में रहता है, सद्दाम उनलोगों को खर्च देता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहेगी क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वह झूठी गवाही दे रही है।

6. आवेदिका साक्षी संख्या 02 आरजू मुस्कान जो आवेदिका सं0 02 हैं और इन्होंने भी आवेदिका के आवेदन के कथनों का समर्थन अपने दाखिल साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। विपक्षी की ओर से किये गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी सं0 02 ने कहा है कि उसकी जन्मतिथि 18.10.2007 है। इंदरा गांधी ओपेन यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं होता है, केवल फर्म भरा जाता है। वह अपनी मॉ के साथ अपने मामा के घर रहती है। उसे जानकारी नहीं है कि उसके पिता कितना साल पहले विदेश में रहते थे। उसके पिता को जमीन है लेकिन कितनी है, उसे जानकारी नहीं है। यदि उसके पिता उसे रखना भी चाहें तब भी वह उनके साथ नहीं रहेगी। उसके भाई का नाम सद्दाम हुसैन है जो उससे बड़ा है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी मॉ जानबूझकर विपक्षी के साथ नहीं रहती है, वे लोग सिवान के नवलपुर मोहल्ले में मास्टर मोबिन के मकान में रहते हैं, मास्टर मोबिन ही उनलोगों का सारा खर्चा उठाते हैं, उसका भाई विदेश में रहकर काम करता है और सत्तर हजार रूपया प्रतिमाह उसकी मॉ को देता है। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने विपक्षी को ट्रेक्टर और टेम्पू होने के संबंध में गलत

गवाही दिया है, उसके पिता विपक्षी को खर्च देने की हैसियत नहीं हो और वह अपनी मॉ के बहकावे में झूठी गवाही दे रही है। न्यायालय प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने कहा है कि वह स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा है। आगे जिरह में साक्षी ने कहा है कि जिस दिन वह अपने पिता के घर गई थी उस दिन वह टेम्पू चला रहे थे।

7. विपक्षी की ओर से स्वयं विपक्षी साक्षी सं0 01 के रूप में उपस्थित हुए है और इन्होंने अपने कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य से करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मूल भरण पोषण वाद सं0 48/2013 में जब अंतिम एकपक्षीय आदेश पारित हुआ था उस समय वह विदेश में था। उसका लड़का सद्दाम हुसैन आवेदिका के साथ रहता है और वह विदेश में कमाकर 70,000/–रूपया प्रतिमाह आवेदिका को देता है। आवेदिका ने उसी के ग्रामीण मोहम्मद मोबीन वल्द नुरूल हक के साथ बतौर पत्नी जून 2011 से ही रहती है। आवेदिका की सभी गलतियों और गुनाहों को वह माफ करके उसे अपने साथ रखने के लिए कहा लेकिन आवेदिका ने साथ रहने से इंकार कर दिया। उसने मार्च 2017 में अपनी पुत्री तब्बसुम खातून की शादी कर दी थी। विपक्षी का प्रतिपरीक्षण आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है जिसमें विपक्षी का कथन है कि उसे दो लड़कियॉ मुस्कान व रानी तथा एक लड़का सद्दाम हुसैन है। उसके लड़के सद्दाम की उम्र 36–37 वर्ष का है। सद्दाम की पढ़ाई लिखाई उसी ने कराया है। उसकी पत्नी आवेदिका और बच्चे वर्ष 2017 तक उसके साथ रह रहे थे। उस समय मुस्कान पढ़ाई नहीं कर रही थी। रानी पढ़ रही थी। उसे मालूम नहीं है कि आवेदिका ने रानी का नाम बदलकर आरजू रखा है क्योंकि रानी के नामांकन के समय वह बाहर था। उसकी पत्नी आवेदिका उस समय उसी के साथ रहती थी। वह सबसे पहले वर्ष 1993 में विदेश गया था। वह कुल मिलाकर पन्द्रह साल विदेश रहा है। उसके नाम से जमीन नहीं है, सब उसके पिता के नाम से है। उसके पास पक्का मकान भी नहीं है। करकट का मकान है। उसके यहॉ इंदिरा आवास लोगों को मिला है जिससे पक्का मकान बना है। वह चार भाई है। उसके पिता के नाम से लगभग डेढ़ बिघा जमीन है। उसके पिता की मृत्यु दो वर्ष पहले हो चुकी है। तब्बसुम की शादी में वह सम्मिलित नहीं था। तब्बसुम की शादी में उसने लगभग चार लाख रूपया दिया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि तब्बसुम की शादी उसके मामा ने किया हो। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि आवेदिका के पास बैंक खाता नहीं था इसलिए खाते पर पैसा नहीं भेजा। शादी में पैसा हुन्डी के माध्यम से दुबई से भेजा था लेकिन पैसा भेजने का कोई सबूत उसके पास नहीं है। अभी वह ई–रिक्सा चलाता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जहॉ तक हो सकेगा वह अपनी दूसरी बेटी की शादी में डेढ़ लाख रूपया देगा। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि वह आरजू के पढ़ाई के लिए 5,000/–रूपया प्रतिमाह देने में सक्षम नहीं है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके पास ट्रेक्टर है और वह गलत गवाही दे रहा है।

8. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसका पक्ष रखते हुए बहस किया गया कि मूल भरण पोषण में आवेदिका तथा उसके दो बच्चों के लिए कुल तीन हजार रूपया प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश वर्ष 2013 में हुआ था। महंगाई काफी बढ़ गई है और इस तीन हजार से आवेदिका व बच्चे का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आवेदिका की एक पुत्री तब्बसुम खातून की शादी हो चुकी है और दूसरी पुत्री आरजू मुस्कान आवेदिका के साथ है जो पढ़ाई कर रही है। अतः आवेदिका हसीमा खातून व उसकी पुत्री आरजू मुस्कान के लिए कुल 8500/–रूपया प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जाय। विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता बहस करते हुए निवेदन किये कि विपक्षी ने दूसरी शादी कर लिया है तथा उस शादी से उसे एक पुत्र है। विपक्षी पर

उसकी मॉ भी आश्रित है। विपक्षी पहले विदेश रहा है तथा वहॉ से आवेदिका को पैसा भेजाता था। विपक्षी ने अपनी पुत्री तब्बसुम खातून की शादी में भी पैसा दिया है। वर्तमान में विपक्षी ई–रिक्सा चलाता है जिससे उसे नामात्र की आदमनी होती है और उसी से वह किसी तरह आवेदिका को भरण पोषण देता है और उसी में से अपने दूसरी पत्नी और मॉ का भरण पोषण करता है। आवेदिका का पुत्र सद्दाम विदेश रहता है तथा पैसा कमाकर आवेदिका को ही देता है। आवेदिका उस के गांव के मास्टर मोबिन के साथ रह रही है तथा वही आवेदिका का भरण पोषण कर रहा है। आरजू मुस्कान बालिग हो चुकी है और अंत में आवेदिका का बढ़ोत्तरी आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

9. विपक्षी विगत कई तिथियों से अपनी ओर से दूसरे साक्षी को प्रस्तुत नहीं कर रहे थे जिस कारण विपक्षी का साक्ष्य बंद हो गया। तब विपक्षी द्वारा एक अन्य साक्षी सिराजुद्दीन का साक्ष्य शपथ पत्र अभिलेख पर दाखिल किया गया लेकिन विपक्षी का साक्ष्य बंद होने और अभिलेख बहस में नियत होने के कारण इस साक्षी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ।

10. अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह मिसलेनियस केस, भ्रम से बचने के लिए, मूल पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के द्वारा से अलग से दर्ज कराया गया है ताकि यह न्यायालय आवेदिका के बढ़ोत्तरी आवेदन पर न्यायोचित आदेश सम्पर्ण मूल अभिलेख को देखकर, कर सके।

11. आवेदिका के बयान एवं अन्य साक्षी के साक्ष्य तथा विपक्षी की जबाव/ प्रतिउत्तर एवं उसके आय, संपति एवं देयताओं के शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि आवेदिका विपक्षी की विवाहिता पत्नी है तथा उसे विपक्षी से एक पुत्र व दो पुत्रियॉ हैं। आवेदिका की एक पुत्री तब्बसुम खातून व पुत्र सद्दाम हुसैन की शादी हो चुकी है और एक मात्र पुत्री आरजू मुस्कान जो अपनी मॉ आवेदिका के साथ उसके मायके में रह रही है। पत्रावली पर उपलब्ध आरजू मुस्कान का अंक पत्र एवं उसके बयान में यह आया है कि उसकी जन्म तिथि 18.10.2007 है अर्थात वह 18.10.2025 को बालिग हो चुकी है और वह इंदिरा गॉधी ओपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है। मूल अभिलेख पर पारित आदेश दिनांक 27.04.2017 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदिका को विपक्षी की पत्नी मानते हुए और उसके दोनों बच्चों को कुल तीन हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश इस न्यायालय द्वारा किया गया था। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आवेदिका हसीना खातून उर्फ हसीमा विपक्षी की पत्नी है और एक पुत्री आरजू मुस्कान आवेदिका सं0 02 अपनी मॉ के ही पास रह रही है। विपक्षी ने साक्ष्य के दौरान अपने साक्ष्य शपथ पत्र में यह कहा है कि हसीना खातून उसी के ग्रामीण मो0 मोबीन उर्फ नुरूल हक के साथ जून 2011 से रहती है परन्तु उसकी आपत्ति/ जबाव में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर उसने अपने प्रतिपरीक्षण के पारा 07 में यह कहा है कि उसकी पत्नी व बच्चे वर्ष 2017 तक उसके साथ रहते थे अर्थात यदि वह जून 2011 से किसी अन्य के साथ रहती थी तो वर्ष 2017 तक उसके साथ कैसे रहती थी। इसका कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावे विपक्षी ने एक साक्षी का शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल किया लेकिन उसे प्रतिपरीक्षण के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया। अतः विपक्षी के इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि आवेदिका किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है।

12. उभयपक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा 2021 (2) एस0सी0सी0 324 में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में दाखिल

शपथ पत्र में दाखिल किया गया है। आवेदिका ने अपने आय व संपत्ति के शपथ पत्र में अपनी आय शून्य होना कहा है। आश्रित के कॉलम में आरजू मुस्कान का नाम वर्णित किया है तथा उस पर एक हजार रूपया प्रतिमाह खर्च होना वर्णित किया है। आवेदिका ने अपने उपर 5,000/–रूपया प्रतिमाह खर्च होना वर्णित किया है। विपक्षी की आय के संबंध में उसे टेम्पू वो ट्रेक्टर से मो0 30,000/–रूपये से उपर प्रतिमाह कही है। आवेदिका ने विपक्षी से अलग रहने की तिथि दिनांक 25.03.2003 कहा है। विपक्षी द्वारा अपने आय व संपत्ति के शपथ पत्र में विपक्षी ने अपने आप को साक्षर होना तथा अपनी आय शून्य होना वर्णित किया है। विपक्षी ने आवेदिका से अलग रहने की तिथि जून 2011 तथा अपने उपर मो0 9,000/–रूपया खर्च होना वर्णित किया है। विपक्षी ने इस शपथ पत्र में आश्रितों के कॉलम में दूसरी पत्नी, एक पुत्र और अपनी मॉ को अपने उपर आश्रित बताया है तथा आश्रितों पर मो0 7,000/–रूपया खर्च होना वर्णित किया गया है। विपक्षी ने अपनी मॉ को हृदय रोग व सुगर रोग से पीड़ित होना वर्णित किया है। बच्चों के कॉलम में विपक्षी ने दो पुत्री और एक पुत्र होना वर्णित किया है तथा उन्हें माता की अभिरक्षा में होना कहा है। विपक्षी ने एक पुत्री और एक पुत्र को विवाहित होना वर्णित किया है। विपक्षी द्वारा आवेदिका के आय के संबंध में, आवेदिका को दाई का काम करने से 3500/–रूपया प्रतिमाह आमदनी होना वर्णित किया गया है। लेकिन विपक्षी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में आवेदिका के आय के संबंध में कुछ नहीं कहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका की कोई आमदनी नहीं है। विपक्षी ने अपनी आय शून्य होना और अपने उपर व अपने आश्रितों पर कुल 16,000/–रूपया खर्चा होना कहा है जो किसी भी तरह से संभव नहीं है और इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी ने अपनी आय व संपत्ति के शपथ पत्र में अपनी आय का सही विवरण नहीं दिया है। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह अभी ई–रिक्सा चलाता है तथा वह कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष विदेश रहा है। मूल भरण पोषण वाद सं0 48/2013 में आवेदिका और उसके दो बच्चों के लिए तीन हजार रूपया प्रतिमाह भरण पोषण इस न्यायालय ने दिनांक 27.04.2017 को आदेश की तिथि से देने का निर्देश विपक्षी को दिया था। वर्तमान समय में महंगाई बढ़ चुकी है और आवेदिका की एक पुत्री अभी पढ़ाई कर रही है और अविवाहित है और विपक्षी की भी आय निश्चित रूप से बढ़ी है और वह यहीं रहकर अपना कार्य करता है और विपक्षी ने दूसरी शादी भी कर ली है और दूसरी शादी से एक बच्चा भी है।

13. उपरोक्त परिस्थिति में यह न्यायालय विपक्षी की आय 20,000/–रूपया प्रतिमाह मानते हुए विपक्षी को आदेश देती है कि वह अपनी पत्नी हसीमा खातून (आवेदिका) को मो0 4,000/–रूपया प्रतिमाह बढ़ोत्तरी आवेदन दाखिल करने के दिनांक 30.05.2023 से नियमित अदा करे तथा अपनी पुत्री आरजू मुस्कान के लिए मो0 3,000/–रूपया प्रतिमाह बढ़ोत्तरी भरण पोषण आवेदन दाखिल करने के दिनांक 30.05.2023 से इसके बालिग होने तक अर्थात दिनांक 18.10.2025 तक नियमित अदा करे।

14. विपक्षी, इस आदेश के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर आवेदिका को उपरोक्त भरण पोषण की राशि अदा करे।

15. यदि अगले 10 दिनों में विपक्षी इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आवेदिका आदेश के प्रवर्तन के लिए उचित आवेदन दाखिल करने को स्वतंत्र होगी।

16. उपरोक्तानुसार यह बढ़ोतरी भरण पोषण आवेदन ससंघर्ष स्वीकार करते हुए निष्तारित किया जाता है।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि बाद पूर्ति आवश्यक औपचारिकताएँ, पत्रावली दफ्तर दाखिल करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

(मनोज कुमार – द्वितीय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,सीवान।
06.06.2026

(मनोज कुमार – द्वितीय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,सीवान
06.06.2026